DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- 15 सितंबर, 2022 दैनिक जागरण III ATED----------

पेड़ काटे जाएंगे राजधानी में, पौधारोपण होगा एनसीआर में!

जल्द सुलझ सकता है पौधारोपण के लिए जमीन की कमी का मुद्दा

दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव

- पौधारोपण के लिए दिल्ली में भूमि की कमी पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, डीडीए ने पास के राज्यों में जमीन देने का दिया था सुझाव
- वन मंत्रालय ने डीडीए का यह प्रस्ताव फारेस्ट एप्रेजल कमेटी को सौंपा, किया जा रहा विचार, जल्द ही स्वीकार किया जा सकता है प्रस्ताव

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

दिल्ली में पौधारोपण के लिए जमीन की कमी का मुद्दा जल्द सुलझ सकता है। केंद्र सरकार प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली को अन्य राज्यों में जमीन उपलब्ध करा सकती है। इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में भी जगह मिल सकती है।

प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली सरकार को जमीन उपलब्ध कराने में हाथ खड़े कर चुका है। डीडीए का दो टूक शब्दों में कहना है कि जब उसके पास जमीन है ही नहीं तो देने का सवाल भी नहीं उठता। मुख्य सचिव को दो बार पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

दूसरी तरफ डीडीए ने पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण सचिव को भी एक पत्र लिखकर सारी स्थिति बता दी थी। डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की सचिव लीना नंदन को पत्र लिखकर कहा गया था कि जमीन की कमी होने के कारण द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, वे राजधानी के विकास और इसकी अन्य जरूरतों के लिए हैं। मास्टर प्लान के तहत जो 15 प्रतिशत क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए रखा गया है, वह भी 20 प्रतिशत तक भर चुका है। इसीलिए राजधानी क्षेत्र में अब पौधारोपण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो सकती।

द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव करना जरूरी

पत्र में यह भी बताया गया कि सन 1990 के बाद से दिल्ली में कोई भू अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसीलिए 42 साल पहले बनाए गए द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियमों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली राज्य नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र है। अतः प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली को अन्य राज्यों में भी जगह दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डीडीए के उक्त पत्र को फारेस्ट एप्रेजल कमेटी को सौंप दिया है। कमेटी इसके तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि डीडीए के सुझाव को स्वीकार करते दिल्ली के प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए जल्द ही समीपवर्ती राज्यों में खाली पड़ी जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वाभाविक रूप से यह जमीन एनसीआर क्षेत्र में मिलेगी।

निराशाजनक स्थिति >> संपादकीय

निराशाजनक स्थिति

विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिल्ली में काटे जाने वाले पेड़ों के बदले में प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि न मिल पाना निराशाजनक है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिल्ली सरकार से भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता जताने के बाद मामला केंद्र सरकार तक पहुंचने पर माना जा रहा है कि इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार दिल्ली के साथ लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भूमि उपलब्ध करा सकती है। यह सर्वथा उचित है कि दिल्ली में भूमि न होने पर प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए सरकार को एनसीआर के जिलों में भूमि मुहैया कराई जाए, ताकि फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 के तहत परियोजनाओं के लिए काटे जा रहे हर वृक्ष के बदले दस पौधे लगाए जा सकें।

डीडीए को पुनः आकलन कर अपनी अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराकर उसे प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली सरकार को मुहैया कराना चाहिए

दिल्ली में विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की बलि दी जाती है। राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि यहां कम-से-कम पेड़ काटे जाएं। यदि काटे भी जाते हैं तो उनकी भरपाई उसी स्थान के आसपास प्रतिपूरक पौधे लगाकर की जाए। लेकिन, डीडीए द्वारा दिल्ली में इसके लिए भूमि न देने से प्रतिपूरक पौधारोपण का लाभ दिल्ली को नहीं मिल सकेगा। यह समझा जाना चाहिए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां के पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता। डीडीए का कहना है कि उसके पास भूमि नहीं है। ऐसे में डीडीए को फिर से अपनी भूमि का आकलन कर विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर उसे पौधारोपण के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। राजधानी में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए प्रयास करके दिल्ली में ही प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सीवर में दो लोगों की मौत के मामले में समिति करेगी जांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: बक्करवाला स्थित राजमार्ग अपार्टमेंट के सीवर मैनहोल में नौ सितंबर को हुई दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक समिति गठित की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यह समिति जांच करेगी। समिति को रिपोर्ट देने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय साझा करने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

रोहित नाम का एक व्यक्ति डीडीए के बिना किसी निर्देश और सूचना के सीवर मैनहोल में घुस गया था। उसकी मौत हो गई थी। डीडीए का एक सुरक्षा गार्ड अशोक गुलिया उसकी मदद के लिए भी दौड़ा, पर कुछ नहीं कर पाया। वह भी सीवर के मैनहोल में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीडीए सीवर लाइनों की मैनुअल सफाई नहीं करता। जरूरत पड़ने पर यह कार्य करने के लिए मशीनों की मदद ली जाती है।

हाई कोर्ट के संज्ञान का कांग्रेस ने किया स्वागत: इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेने पर कांग्रेस ने आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डा. नरेश कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि इससे उन दोनों के परिवारों का कुछ भला होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर इस प्रकार के हादसों में जान गंवाने वालों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देकर वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन जहां वह सत्ता में हैं, उन्हें वहां के लोगों की सुध नहीं हैं। डा. कुमार ने कहा कि इस हादसे के कई दिन बाद भी न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवारों से मिलने आया। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022

EWS flat handover nod to help 1,640 families

10% Rise In Commercial Property Conversion Rate

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority approved on Wednesday a 10% increase in land rates for calculating leasehold-to-freehold conversion for commercial and industrial properties. At a meeting chaired by lieutenant governor VK Saxena, DDA also cleared the allotment of flats for the economically weaker sections at Jailorwala Bagh in north Delhi's Ashok Vihar.

In a move to benefit over 1,640 households, the EWS flats at Jailorwala Bagh were for an in-situ slum rehabilitation project undertaken by DDA. The eligible slum dwellers of Jailorwala Bagh can shift to the 1,675 EWS flats near the slum cluster on paying Rs 1,71,000, which includes Rs 30,000 as maintenance charges for five years, a DDA statement said.

The land-owning agency said that the eligible households would be allotted flats through a draw of lots. After rehabilitation of the slum dwellers, DDA will auction the vacated land measuring approximately 11,129 square metres.

DDA OFFICIAL SAYS

The land rates differ as per zones fixed by DDA. The 10% increase will only lead to a nominal increase in the conversion charges

Saxena approved the proposal of fixing the land rates for calculating conversion charges from leasehold to freehold for commercial and industrial properties as well as the rates for calculating conversion charges from leasehold to freehold in respect of land for multilevel parking lots for 2022-23.

The approval will now be forwarded to the Union housing and urban affairs ministry for final clearance. "The land rates differ according to zones and are calculated per square metre. The 10% increase in the rates will only result in a nominal increase in the conversion charges," said a DDA official.

DDA also fixed the disposal cost of 18 flats at the Commonwealth Games Village at Rs 3,28,400 per sq metre for 2022-23. DDA had purchased 333 flats in the complex in 2009 from the private developer and a large number of flats were allotted or were disposed of through open auction. However, on not getting a positive response from buyers, it was decided to allot the remaining flats to government institutions. Only 19 flats remain unsold now.

DDA also fixed the predetermined rates (PDRs) for allotment of land to transport traders at the Integrated Freight Complex in Narela's Holambi Kalan. Under the provisions of the Delhi Master Plan, warehouses of transport traders in the Walled City and some special areas have to shift to the freight complex.

DDA committee to probe two deaths in manhole

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has constituted a committee to investigate the two deaths in a manhole in the Bakkarwala area on Friday.

DDA said in a statement on Wednesday that the committee has been constituted on the directions of lieutenant governor VK Saxena and that the victims are being provided ex gratia relief as per norms. It clarified that it does not practise manual cleaning of sewer lines.

The statement said that as per preliminary reports, Rohit, a private person, entered into the sewer manhole without any instruction from or intimation to DDA and "this action resulted in his untimely death". The authority also said that as per reports, Ashok Gulia, a DDA security guard, rushed to help him but couldn't save Rohit and "he himself fell into the sewer manhole and sacrificed his life".

"The panel has been asked to submit its report on the cause of accident, lapses if any, on the part of officers/contractors or any other person, and remedial measures to be undertaken for checking such incidents. Meanwhile, an FIR has also been registered by Delhi Police for probe in the matter," the statement said. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2022

जेलरवाला बाग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1675 फ्लैट आवंटित करेगा डीडीए

एलजी की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में फ्लैट आवंटन को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बहुत जल्द निम्न आर्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 1,675 फ्लैट आवंटित करेगा। जेलरवाला बाग इलाके में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत ड्रा के जरिये इन फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। बुधवार को उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में इस योजना के तहत फ्लैट आवंटन को मंजूरी मिल गई है।

अशोक विहार के जेलरवाला बाग में इन फ्लैट की कीमत 1 लाख 71 हजार रुपये तय की गई है। इसके साथ पांच वर्ष के रखरखाव शुल्क के रूप में 30 हजार रुपये देने होंगे। जेलरवाला बाग के पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद लगभग 11,129 वर्ग मीटर की खाली भूमि की नीलामी की जाएगी। डीडीए के अनुसार कालकाजी एक्सटेंशन में 3,024 फ्लैट, जेलरवाला बाग में 1,675 फ्लैट और कठपुतली कालोनी में 2,800 फ्लैट हैं। इनके अलावा दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर और रोहिणी के अलग-अलग सेक्टरों की 10 झुग्गियों में भी जल्द काम शुरू होगा। यहां 10,337 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए जाएंगे।

बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय

- मल्टी लेवल पार्किंग के अंतर्गत क्षेत्र के संबंध में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के लिए लीज होल्ड से फ्री होल्ड तक रूपांतरण शुल्क की गणना के लिए दर निर्धारण व लीज होल्ड से फ्री होल्ड में रूपांतरण शुल्क की गणना के लिए भूमि दरों के निर्धारण के लिए 10 प्रतिशत छूट को मंजूरी दी है।
- शिवाजी मार्ग पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के संबंध में लागू ब्याज के साथ फ्लैटों की शेष लागत जमा करने के लिए 31 जुलाई, 2020 से अधिक समय के विस्तार की अनुमति भी दी है। डीडीए ने सूचना पत्र/आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने में मांगे गए फ्लैट की लागत को ब्याज के साथ जमा करने का मौका दिया है।
- विदेश मंत्रालय को 2022-2023 के लिए 18 सीडब्ल्यूजी फ्लैटों की निपटान लागत के दर निर्धारण पर भी चर्चा हुई। डीडीए ने वर्ष 2009 में ईएमएएआर और एमजीएफ समूहों से अक्षरधाम आवासीय परिसर में 333 सीडब्ल्यूजी फ्लैट खरीदे थे। बड़ी संख्या में फ्लैटों का आवंटन/निपटान खुली बोली के जरिये किया गया था, लेकिन नीलामी को लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर शेष फ्लैट सरकारी संस्थानों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में केवल 19 फ्लैट बिना बिके हैं। वर्ष 2022-2023 में इनके निपटान के लिए कीमत घटाकर 3,28,400 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। पार्किंग और फ्रीहोल्ड शुल्क इस राशि में शामिल नहीं हैं। फ्लैट और पार्किंग की लागत पर पांच प्रतिशत की छूट की पेशकश है।

15,086 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आठ झुग्गी बस्तियों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है।

डीडीए ने आइएफसी होलंबी कलां, नरेला में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को भूमि के आवंटन के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को भी मंजूरी दे दी है। मास्टर प्लान-2021 के प्रविधानों के अनुसार, विशेष क्षेत्रों में विद्यमान ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स के गोदामों को होलंबी कलां, नरेला में इंटिग्रेटेड फ्रेट कांप्लेक्स में शिफ्ट करने की जरूरत है। इसे अंतिम स्वीकृति और अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

अतिरिक्त एफएआर प्रभार तथा उपयोग परिवर्तन प्रभार अथारिटी ने डीडीए को उनके द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त एफएआर और उपयोग परिवर्तन प्रभारों की दर में वृद्धि की पुनः समीक्षा करके अगली बैठक में विस्तृत विवरण के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है।

आप ने की पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री में घोटाले की जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना के सामने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और डीडीए बोर्ड के सदस्य सोमनाथ भारती ने पीएम उदय योजना के तहत हो रही रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार और जनता के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पीएम उदय योजना को तीन साल हो चुके हैं। डीडीए ने अभी तक आठ लाख में से महज 15 हजार रजिस्ट्री की है। इस गति से तो सभी को रजिस्ट्री देने में 160 वर्ष लग जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि डीडीए के 41 वर्ग मीटर प्लाट का नियम के हिसाब से 800 रुपये के बदले तीन हजार रुपये चार्ज किया है। एक लाख रुपये की रिश्वत अलग से ली जा रही है। ऐसे में अगर 15 हजार रजिस्ट्री में भी इस तरह से चार्ज किया गया होगा, तो यह कम-से-कम डेढ़ सौ करोड़ रुपये का घोटाला है। उन्होंने एलजी से मांग की हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

नवभारत टाइम्स

सीवर में दो लोगों की मौत के बाद बनाई गई जांच कमिटी

■ विस, नई दिल्ली : बक्करवाला (हाइवे अपार्टमेंट) में सीवर सफाई के लिए सीवर मैनहोल में उतरे दो मजदूरों की मौत के मामले में डीडीए ने जांच कमिटी का गठन किया है। यह हादसा 9 सितंबर को हुआ था। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित हादसे के समय डीडीए को बिना बताए सीवर मैनहोल में उतरे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें सीवर में उतरने के लिए डीडीए ने किसी तरह के निर्देश नहीं दिए थे, न ही डीडीए को ऐसी कोई जानकारी थी। हादसे के समय डीडीए के सिक्युरिटी गार्ड अशोक गुलिया रोहितल की मदद के लिए दौड़े। लेकिन वह रोहित को बचाने में सफल नहीं हुए और खुद भी सीवर में गिर गए और उनकी भी मौत हो गई।

पीएम उदय योजना में घोटाले की जांच कराएं LG : भारती

■ विस, नई दिल्ली: डीडीए की बैठक में एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने 'आप' विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने पीएम उदय योजना की रजिस्ट्री में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वरिष्ठ नेता भारती ने कहा कि पीएम उदय योजना में रजिस्ट्री के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत ली जा रही है। डीडीए में भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। पीएम उदय योजना को अब तीन साल गुजर चुके हैं। डीडीए ने अभी तक 8 लाख में से सिर्फ 15 हजार ही रजिस्ट्री ही करके दी है। इस गति से तो सभी को रजिस्ट्री देने में 160 साल लगेंगे।

आप के वरिष्ठ नेता और डीडीए सदस्य ने डीडीए की बैठक में उठाया यह मुद्दा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- हिन्दुस्तान ----------DATED---15/09/2022

डीडीए 1675 फ्लैट का आवंटन करेगा

- जेलरवाला बाग में किया जाएगा ईडब्ल्यूएस वर्ग के फ्लैट का आवंटन
- प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में दी गई योजना को मंजूरी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से निम्न आर्य वर्ग के लिए जल्द ही 1675 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। जेलरवाला बाग इलाके में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत इन फ्लैट का आवंटन ड्रॉ से किया जाएगा। बुधवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में इस योजना के आवंटन को मंजूरी मिल गई है।

जेलरवाला बाग, अशोक विहार में इन फ्लैट की कीमत 1 लाख 71 हजार रुपये तय की गई है। जिसके साथ 30 हजार रुपये पांच वर्ष के रखरखाव शुल्क के रूप में देने होंगे। ईडब्लूएस परिवारों को ये सभी फ्लैट ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। जेलरवाला बाग के पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद लगभग 11,129 वर्ग मीटर की खाली पड़ी भूमि की नीलामी की जाएगी।

दस जेजे क्लस्टर में बनाए जाएंगे फ्लैट : डीडीए के अनुसार कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 फ्लैट, जेलरवाला बाग में 1675 फ्लैट, कठपुतली कॉलोनी के लिए 2800 फ्लैट हैं। इनके अलावा दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर और रोहिणी के अलग-अलग सेक्टर्स की 10 झुग्गियों में काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके तहत 10,337 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए जाएंगे। वहीं 15,086 ईडब्लूएस फ्लैट के लिए कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आठ स्लम्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

'भ्रष्टाचार की जांच कराएं एलजी'

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बुधवार को हुई बैठक में एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने आप विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने पीएम उदय योजना की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।

भारती ने कहा कि डीडीए में भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता के साथ ठगी हो रही है। योजना को अब तीन साल गुजर चुके हैं। डीडीए ने अभी तक 8 लाख में से सिर्फ 15 हजार ही रजिस्ट्री करके दी है। इस गति से तो सभी को रजिस्ट्री देने में 160 साल लगेंगे। वहीं, डीडीए के 41 स्क्वायर मीटर प्लॉट का नियम के हिसाब से 800 रुपये नहीं, बल्कि 3 हजार रुपये चार्ज किया है। उन्होंने बैठक में मांग की है कि इसकी पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए।

मजदूरों की मौत मामले में डीडीए ने कमेटी बनाई

नई दिल्ली। बक्करवाला के एक आवासीय परिसर के सीवर मैनहोल में गिरने से दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को एक कमेटी का गठन किया। बुधवार को डीडीए ने बयान जारी कर कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार रोहित, एक निजी व्यक्ति डीडीए को बिना किसी निर्देश/सूचना के सीवर मैनहोल में घुस गया और इसके चलते उसकी मौत हो गई। डीडीए सुरक्षा गार्ड अशोक गुलिया उनकी मदद के लिए दौड़े लेकिन वे रोहित को बचाने में सफल नहीं हुए और खुद मैनहोल में गिर गए थे।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 15 सितंबर 2022

जेजे क्लस्टरों के लोगों को मिलेंगे जेलरवाला बाग, अशोक विहार में बने 1640 फ्लैट्स

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए ने जेलरवाला बाग, अशोक विहार में 'इन सीटू रिहैबिटेशन प्रोजेक्ट' के तहत बने 1600 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी है। जेजे क्लस्टरों में रहने वाले लोगों को ये फ्लैट नियमानुसार आवंटित किए जाएंगे।

बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार जेलरवाला बाग के जेजे क्लस्टर में रहने वाले योग्य उम्मीदवारों को 1675 फ्लैट्स दिए जाने हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 1,71,000 रुपये देने होंगे। इसमें पांच साल के लिए 30 हजार रुपये का मेंटेनेंस चार्ज शामिल है। 1640 लोगों के लिए घर यहां थे। इसमें से योग्य उम्मीदवारों को ड्रा के जरिए ये फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। रिहैबिटेशन के बाद जेजे क्लस्टर में 11,129 स्क्वायर मीटर के करीब जगह खाली होगी। डीडीए इस जमीन का ऑक्सन करेगी। बुधवार को डीडीए की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता एलजी वी.के. सक्सेना ने की।

डीडीए की बोर्ड मीटिंग में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के अलॉटमेंट को मिली मंजूरी

आईएफसी होलंबी कलां (नरेला) में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को जमीन अलॉट करने के लिए डीडीए ने प्री डिटरमाइंड रेट (पीडीआर) तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डीडीए के अनुसार मास्टर प्लान में यह प्रावधान है कि वॉल्ड सिटी और स्पेशल एरिया के ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स के गोदामों के लिए आईएफसी (इंटीग्रेटेड फ्राइट कॉम्प्लेक्स) होलंबी कलां में शिफ्ट किए जाने हैं।

लीजहोल्ड से फ्री होल्ड करवाने के लिए 10% बढ़ेगा कन्वर्जन चार्ज

डीडीए ने कमर्शल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करवाने के लिए कन्वर्जन चार्ज के रेट तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 2022-23 में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी लीज होल्ड से फ्री होल्ड के लिए जमीन रेट फिक्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कमर्शल और इंडस्ट्रियल प्रापर्टी और मल्टीलेवल पार्किंग 2022-23 के लिए डीडीए ने कन्वर्जन चार्ज 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा अथॉरिटी ने डीडीए को अडिशनल एफएआर और कन्वर्जन चार्ज के प्रस्तावित रेट पर दोबारा विचार करने को कहा है।

डीडीए की ई- स्कीम 45 दिनों में रेरा में होगी रजिस्टर्ड

■ विस, नई दिल्ली: डीडीए को अब एक मई 2017 से चल रही सभी ई-ऑक्शन स्कीमों का भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए रेरा ने डीडीए को 45 दिनों का समय दिया है।

रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) दिल्ली ने डीडीए को आदेश दिया है कि वह अपनी चल रही सभी ई-ऑक्शन स्कीम जिसमें प्लॉट, फ्लैट्स या दुकानें शामिल हैं, को रजिस्टर्ड करवाए। एक मई 2017 से चल रही सभी स्कीमों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 45 दिनों का समय डीडीए को दिया गया है। दरअसल रोहिणी की एक आरडब्लूए ने रेरा में शिकायत की थी कि उन्होंने 2013 में ऑक्सन के जरिए प्लॉट दिए गए थे। इसके बावजूद वहां विकास के काम आज तक नहीं हुए। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली रेरा ने साफ किया कि उक्त स्कीम 1000 फ्लैट्स की थी। एक मई 2017 में भी इस स्कीम के 150 फ्लैट्स बचे हुए हैं। इसलिए डीडीए को नियमानुसार इस स्कीम के लिए भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। साथ ही उसे ऐसी अन्य स्कीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए।

- एक अपील पर सुनवाई करते हुए रेरा ने आदेश जारी किए
- 1 मई 2017 से अधूरी स्कीमों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- HINDUSTAN TIMES -----DATED- 15/09/2022

Cops receive 600 requests for Ramlila, Puja events

Hemani Bhandari and Risha Chitlangia
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: With the festival season around the corner, the Delhi Police have received over 600 applications to hold Ramlila, Durga Puja and Dussehra events, indicating that the city is back to the pre-Covid era as far as festivities are concerned.

Since 2019 -- the last year before the pandemic hit -- the organisers of all public events have been required to obtain a casual performance licence (CPL) from the Delhi Police. That year, the police received 629 applications for organising Ramlila, Durga Puja and Dussehra events. In contrast, in 2022, police have already received 610 applications as on September 14, according to data shared by the Delhi Police licensing unit.

In 2020, no public event took place during the festival season, while the data for 2021 was unavailable.

Starting this year, Delhi Police have also streamlined the CPL application process, taking the entire procedure online.

A Delhi Police officer aware of the matter said that all CPL applicants require NOCs from the fire, municipal and power departments. Earlier, they could apply for these NOCs online, but had to collect the certificates physically and submit them to the licensing unit.

> An online portal allows (applicants) to apply for and get NOCs online, after which they will receive the licence on the portal itself
>
> **OP MISHRA,** joint commissioner of police (licencing)

However now, said joint commissioner of police (licencing) OP Mishra, "an online portal allows them to apply for and get NOCs online from all departments, after which they will receive the licence on the portal, as opposed to via email earlier."

With Covid cases on the decline in the city, Ramlila and Durga Puja organisers are planning to hold festivities in a grand manner, after two years of subdued celebrations due to the pandemic.

Prakash Barathi, secretary of the Nav Shri Dharmik Lila Committee, which organises the Ramlila at the Red Fort grounds, said, "This time, we have planned the event at a grand scale. The theme will be around the Azadi ka Amrit Mahotsav. During the Ramlila, we will have a laser show in which we will showcase the revamped India Gate area."

The organising committees are also making special arrangements to ensure that Covid protocols are followed at their respective events. Arjun Kumar, president of the Luv Kush Ramlila that is organised at the Red Fort lawns, said, "We will have 500 volunteers and close to 100 security guards to ensure people follow Covid protocols."

However, despite efforts by the police to simplify the CPL application process, some kinks remain. Mrinal Biswas, general secretary of Purbanchal Bangiyo Samiti, an association of 38 puja samitis in east Delhi, said, "Municipal corporation officials told us that we have to take permission from the MCD, but we have already paid the DDA for the park. Now we have submitted the documents again."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

millenniumpost
THURSDAY, 15 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI

DDA reports 2 deaths while sewer cleaning, forms panel

SATVIKA MAHAJAN

REPRESENTATIVE PIC

NEW DELHI: The Delhi Delhi Development Authority (DDA) reported that an incident on 9 September 2022 resulted in the deaths of two people, including a DDA security guard. The authority stated the deaths occurred as one of the deceased entered a manhole in Bakkarwala (Highway Apartment) without any instructions/intimation to DDA and the DDA security guard rushed to help him but during the attempt, fell into the sewer and sacrificed their life as well.

On the directions of L-G VK Saxena, the DDA has constituted a committee to investigate the two deaths. The committee constituted by DDA has been asked to submit its report on the cause of accident, lapses if any, on the part of officers/contractors or any other person, and remedial measures to be undertaken for prevention of such incidents.

Meanwhile, an FIR has also been registered by Delhi Police for investigation in the matter.

The DDA in a statement said that they do not practise any means of manual scavenging of sewer lines and manholes. In case, cleaning is needed it is conducted by mechanical means only.

The DDA added that they will be providing initial compensation to the dependent family members of the victims from the Ex- gratia relief fund of the district as per norms.

DDA NOD TO ALLOT 18 CWG FLATS TO MEA WITH DISCOUNT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority on Wednesday approved a proposal to allot 18 Commonwealth Games flats to the Ministry of External Affairs and also fixed its disposal cost. The decision was taken in a meeting of the urban body's highest decision-making body — Authority — chaired by Lt Governor V K Saxena, who is also the Chairman of DDA. "The DDA had purchased 333 CWG flats located in Akshardham Residential Complex from EMAAR and MGF groups in the year 2009," the urban body said in a statement. A large number of flats were allotted or disposed of through open auction, it said.

DDA OKAYS ALLOTMENT OF EWS FLATS CONSTRUCTED AT JAILORWALA BAGH

NEW DELHI: The Delhi Development Authority on Wednesday approved allotment of EWS flats constructed at Jailorwala Bagh and Ashok Vihar under an in situ slum rehabilitation project, a move that will benefit more than 1,640 households, officials said. The decision was taken in a meeting of the urban body's highest decision-making body — Authority — chaired by Lt Governor V K Saxena, who is also the Chairman of DDA. Permission has been granted for allotment of EWS flats constructed at Jailorwala Bagh, Ashok Vihar under an in situ slum rehabilitation project.

the pioneer

DDA approves allotment of 1,675 EWS-category flats

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has approved a 10 per cent increase in land rates for calculating conversation charges from leasehold to freehold in respect of commercial and industrial properties and multilevel parkings for 2022-23. The approval shall be forwarded to the MoHUA for final approval.

The DDA in its meeting chaired by Lieutenant Governor (L-G) VK Saxena also approved the allotment of 1,675 Economically Weaker Sections (EWS) category flats constructed at Jailor Wala Bagh, Ashok Vihar.

The DDA will also allot 18 flats to the Ministry of External Affairs at five per cent discount on the cost of flat and parking. "In-situ slum rehabilitation of JJ Cluster at Jailor Wala Bagh, Ashok Vihar, has been taken up by DDA. Eligible JJ dwellers are to be shifted to 1,675 built-up EWS flats near JJ cluster on payment of Rs 1,71,000.

There are about 1,640 households and eligible households will be allotted these flats through draw of lots. After rehabilitation, the land so vacated measuring approximately 11,129 sq. mtrs will be disposed of by DDA through auction," a press statement said.

An official said the DDA has been directed to re-examine the increase in rates of additional FAR and use conversion charges proposed by them and come up with more details in the next meeting. However, the period of applicability of rates which was valid up to June 30, was further extended up to December 31. "DDA allotted 772 EWS flats at Shivaji Marg under DDA Housing Scheme-2014. Upon receiving representations from allottees alleging higher cost of these flats in comparison to that mentioned in the scheme brochure many allottees approached the Delhi High Court challenging the cost of the flats. Some of them subsequently sought permission of the court to allow them to deposit the amount demanded by the authority, after expiry of the last date," he informed.

"Meanwhile, the DDA had purchased 333 CWG flats located in Akshardham Residential Complex from EMAAR and MGF groups in 2009. A large number of flats were allotted or disposed of through open auction.

However, on not getting a positive response, it was decided to allot remaining flats to Government institutions. At present, only 19 flats remain unsold at CWG. The price for disposal has been worked out as Rs 3,28,400 per sqm for the year 2022-2023," he said.

Panel to probe Bakkarwala sewer deaths

New Delhi: Days after two men died in a sewer manhole in Bakkarwala, the DDA on Wednesday constituted a committee to investigate the incident on the directions of L-G Saxena. The authority also said that the families of the victims are being provided ex-gratia relief as per norms.

The committee has been asked to submit its report on the cause of accident, lapses if any, on the part of officers or contractors or any other person, and remedial measures to be undertaken for prevention of such incidents. Meanwhile, an FIR has also been registered by Delhi Police in the matter.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 15 सितम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट आवंटन का रास्ता साफ

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जहां झुग्गी-वहीं मकान' योजना के तहत जेलरवाला बाग में जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए नवनिर्मित 1640 फ्लैटों के आवंटन की अनुमदि दे दी। परिवहन क्षेत्र के व्यापारियों को होलंबी कला एवं नरेला में जमीन आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है।

बुधवार को उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों को फ्री होल्ड की दरों को अनुमति दे दी। इसके साथ ही यमुना किनारे स्थित कॉमनवेल्थ गेम्स बिलेज (सीडब्ल्यूजी) में विदेश मंत्रालय को आवंटित फ्लैटों के लंबित मामले का भी निपटारा हो गया। खासबात यह है कि शिवाजी मार्ग पर स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लंबित मामले में डीडीए ने आवंटियों को बकाया जमा राशि के लिए दो महीने का समय देने का निर्णय लिया है। इससे करीब 238 आवंटियों को लाभ मिलेगा। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य भी थे।डीडीए के जेजे कलस्टर वासियों के लिए बने इन फ्लैटों की आवंटन राशि निर्धारित कर दी है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 1,71,000 रुपए (5 वर्ष के रखरखाव प्रभारों के रूप में 30,000 रुपए भी शामिल) भुगतान करना होगा। यहां कुल 1640 लोगों को ड्रा के माध्यम से फ्लैट मिलने हैं। हालांकि डीडीए के कुल 1675 फ्लैट बनाए हैं। डीडीए ने आवासीय योजना-2014 के तहत शिवाजी मार्ग पर 772 आवेदकों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए थे। सफल आवेदकों के लिए भुगतान की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 थी। समय सीमा बीतने के बाद कुछ सफल आवेदक न्यायालय चले गए थे। न्यायालय के आदेश पर डीडीए ने इन 238 सफल आवेदकों को 2 महीने का समय दिया है। उन्हें ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के फ्री होल्ड के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

शिवाजी मार्ग पर स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटियों के लिए आखिरी मौका

चारदीवारी क्षेत्र के गोदामों को होलंबी कला में स्थानांतरित करने की जरूरत पर दिया जोर

डीडीए का कहना है कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को नरेला एवं होलंबी कला में जमीन आवंटन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के फ्री होल्ड के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इसके लिए कनवर्जन शुल्क निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि मास्टर प्लान के मुताबिक चारदीवारी शहर और विशेष क्षेत्रों में मौजूद व्यापारियों के गोदामों को होलंबी कलां और नरेला स्थित इंटीग्रेटेड फ्रेड कांप्लेक्स में स्थानांतरित करने की जरूरत है। हालांकि इस प्रस्ताव को आखिरी अनुमोदन के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा।

दैनिक भास्कर

एलजी ने सीवर मैनहोल में उतरे डीडीए ने दो मौतों की जांच के लिए समिति गठन

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बक्करवाला राजमार्ग अपार्टमेंट में 09 सिंतबर 2022 को एक सीवर मैनहोल में सफाई के लिए उतरे दो व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, रोहित, एक निजी व्यक्ति है जो डीडीए को बिना किसी निर्देश सूचना के सीवर मैनहोल में घुस गया और इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। आगे रिपोर्टों के अनुसार अशोक गुलिया, एक डीडीए सुरक्षा गार्ड, उनकी मदद के लिए दौड़े लेकिन वे रोहित को बचाने में सफल नहीं हुए और वे स्वयं सीवर मैनहोल में गिर गए और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना डीडीए ने दो मौतों की जांच के लिए एक समिति गठित की है।

पंजाब केसरी 15 सितम्बर, 2022 ▶ गुरुवार

जांच कमेटी में अपना प्रतिनिधि रखे जाने की मांग की

सीवर कर्मचारियों की मौत मामले में कमेटी पर उठे सवाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : बाहरी दिल्ली में मुंडका के एक अपार्टमेंट में सीवर लाइन की सफाई के दौरान मारे गए दो कर्मचारियो में से एक रोहित बाल्मिकी को प्राइवेट कर्मचारी बताने के डीडीए के बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने जांच कमेटी में अपना प्रतिनिधि रखे जाने की मांग की है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से डीडीए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रोहित एक प्राइवेट कर्मचारी था और डीडीए को बिना जानकारी दिए वह सीवर लाइन की सफाई करने गया था, वह रिपोर्ट झूठ है। रोहित को डीडीए की लोक नायक पुरम कॉलोनी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी में सीवर लाइन की सफाई के लिए रखा था और यह बात एसोसिएशन के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने डीडीए की इस रिपोर्ट को भी झूठा बताया कि वह डीडीए अधिकारियों को सूचित किए बिना सीवर लाइन की सफाई के लिए नीचे उतरा था जबकि सच्चाई यह है कि सीवर लाइन जाम होने की सूचना डीडीए इंजीनियरों को मिली थी और उनके कहने पर ही वह वहां सफाई करने गया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में डीडीए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। डा. कुमार ने कहा कि मामले की लीपा पोती के लिए जो कमेटी बनाई है जो अपनी पहले से निर्धारित रिपोर्ट सौंपकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

DELHI THE HINDU
THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022

DDA clears allotment of 1,675 EWS flats at Jailorwala Bagh

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has approved the allotment of 1,675 economically weaker section (EWS) flats to 1,640 households in Jailorwala Bagh, Ashok Vihar, as part of its in situ slum rehabilitation project.

According to a senior DDA official, 80% of the project's construction work has been completed while the allotment of EWS flats to eligible households, which will be done through a draw of lots, will be completed between November and December.

The project, which was started in 2017, includes EWS houses with one bedroom, a hall, a washroom, a kitchen and a balcony. The construction cost of the project stands at ₹421 crore, the official said.

Eligible families will be shifted to the newly constructed EWS houses on payment of ₹1.71 lakh, which includes ₹30,000 as maintenance charges for five years.

The urban body added that after all the eligible households are shifted from a nearby slum cluster, the vacated land – which is approximately 11,129 sq. m in size – will be disposed of through an auction.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी

जेलोरवाला बाग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1675 फ्लैट का होगा आवंटन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्दी ही निम्न आय वर्ग के लिए 1675 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। जेलोरवाला बाग इलाके में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत इन फ्लैटों का आवंटन ड्रा से किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में इस योजना के आवंटन को मंजूरी मिल गई है। जेलोरवाला बाग, अशोक विहार में इन फ्लैट की कीमत 1 लाख 71 हजार रुपए तय की गई है। इसके साथ 30 हजार रुपए पांच वर्ष के रखरखाव शुल्क के रूप में देने होंगे। ईडब्ल्यूएस परिवारों को ये सभी फ्लैट ड्रा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। जेलोरवाला बाग के पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद लगभग 11,129 वर्ग मीटर की खाली पड़ी भूमि की नीलामी की जाएगी।

डीडीए के अनुसार कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 फ्लैट, जेलोरवाला बाग में 1675 फ्लैट,

संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में एलजी विनय कुमार सक्सेना।

कठपुतली कॉलोनी के लिए 2800 फ्लैट हैं। इनके अलावा दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, हैदरपुर और रोहिणी के अलग-अलग सेक्टरों की 10 झुग्गियों में काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इसके तहत 10,337 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए जाएंगे। वहीं 15,086 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए कालकाजी एक्सटेंशन, कुसुमपुर पहाड़ी और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आठ स्लम्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा डीडीए ने आइएफसी होलम्बी कलां, नरेला में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को भूमि के आवंटन के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को मंजूरी दी है। मास्टर प्लान 2021 के प्रविधानों के अनुसार, चारदीवारी शहर और विशेष क्षेत्रों में विद्यमान ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स के गोदामों को होलम्बी कलां, नरेला में इंटिग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इसे अंतिम स्वीकृति और अधिसूचना के लिए केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

अमर उजाला
नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 15 सितंबर 2022

डीडीए : ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन की मिली मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

नई दिल्ली। डीडीए बोर्ड की बैठक में बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड ने स्व-स्थान स्लम पुनर्वास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन की अनुमति दी। इसके अलावा आईएफसी होलंबी कलां व नरेला में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को भूमि आवंटन के लिए पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण किया। वहीं, वर्ष 2022-23 के लिए व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की गणना करने और मल्टीलेवल पार्किंग के लिए दरों का निर्धारण भी किया गया।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत जेलर वाला बाग व अशोक विहार में निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आबंटन की अनुमति दी। जेलरवाला बाग के पात्र जेजे वासियों को 1,71,000 रुपये (5 वर्ष के लिए रखरखाव प्रभारों के रूप में 30,000 रुपये सहित) के भुगतान पर जेजे क्लस्टर के समीप 1675 निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। यहां लगभग 1640 परिवार है। पात्र परिवारों को ड्रा ऑफ लॉटस के माध्यम से इन ईडब्लूएस फ्लैटों को आबंटित किया जाएगा। जे जे क्लस्टर जैलरवाला बाग के पात्र परिवारों के पुनर्वास के बाद लगभग 11,129 वर्ग मीटर की खाली पड़ी भूमि का डीडीए नीलामी के माध्यम से निपटान करेगा।

डीडीए आईएफसी होलम्बी कलां व नरेला में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को भूमि के आबंटन के लिए पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) को अनुमोदन दे दिया है। मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार वॉल सिटी और विशेष क्षेत्र में मौजूद ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स के गोदामों को होलम्बी कलां व नरेला में इंटिग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। वहीं वर्ष 2022-23 के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों व मल्टीलेवल पार्किंग के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के लिए भूमि दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

मैनहोल में दो लोगों की मौत की जांच के लिए कमेटी गठित

नई दिल्ली। उपराज्यपाल ने डीडीए के बक्करवाला (हाईवे अपार्टमेंट) में नौ सितंबर को एक सीवर मैनहोल में दो लोगों की मौत की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। इसके अलावा इस कमेटी को इस तरह की घटना रोकने के संबंध में भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।डीडीए के अनुसार बक्करवाला में रोहित नामक स्थानीय व्यक्ति सीवर मैनहोल में घुस गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसकी मदद के लिए उतरे गार्ड अशोक गुलिया की भी मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो